**9-क. भागीदारी विलेख**

भागीदारी के इस विलेख का निष्पादन ..................... ..................... के बीच किया जाता है।

के बीच

श्री .................... ....................पुत्र श्री .................... .......................निवासी.................... .................... (इसमें इसके पश्चात् प्रथम भाग का पक्षकार कहा गया)

और

पुत्र श्री ................. ................. निवासी .................. (इसमें इसके पश्चात् दूसरे भाग का पक्षकार कहा गया)

.................................... के नाम एवम् अभिनाम में भागीदारी में ................... ................. का कारबार करने के लिए भागीदारी के एक करार में भाग लेने का इच्छुक है।

और यतः इस विलेख के पक्षकारगण ने एक पश्चात्वर्ती तारीख पर भ्रम या जटिलताओं को टालने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निबन्धनों एवम् शर्तों को परिभाषित करने वाली भागीदारी के विलेख का निष्पादन करने के लिए इसे आवश्यक एवम् समीचीन समझा है।

**अब अतएव भागीदारी का यह विलेख निम्नलिखित रूप में साक्षित करता है –**

1. यह कि भागीदारी कारबार को ..................... ................. के नाम एवम् अभिनाम से चलाया जायेगा।
2. यह कि भागीदारी का कारबार ............ .................... का होगा और कारबार के ऐसे अन्य मार्ग या मार्गों तक विस्तारित किया जा सकता है जैसे पक्षकारगण पारस्परिक सहमति द्वारा विनिश्चित कर सकें।
3. यह कि भागीदारी के कारबार का स्थान .................. ................. में होगा। पक्षकारगण ऐसे स्थान या स्थानों में शाखायें खोलने का हकदार है जो वह समय-समय पर विनिश्चित करें। कारबार का मूल स्थान ऐसे स्थान या स्थानों को भी परिवर्तित किया जा सकेगा जो पक्षकारगण एकमत होकर विनिश्चय करें।
4. पक्षकारगण................. ................. से प्रभाव के साथ प्रारम्भ करेगें और इसमें इसके पश्चात यथा उपबन्धित अवधारण करने योग्य पक्षकारों की बिल पर होगा।
5. यह कि भागीदारी कारबार का लाभ या हानि यदि कोई हो तो भागीदारों के बीच एक समान हिस्सा लगाये जायेगें।
6. यह कि भागीदारों का पूंजी निवेश वही धनराशि जो समय-समय पर भागीदारी की वही में भागीदारों की क्रेडिट में खड़ी हो सकेगी।
7. यह कि भागीदारी की संपूर्ण बहियाँ कारबार के स्थान पर रखी जायेगी और सभी भागीदारों की सहमति के बिना उस स्थान से नहीं हटायी जायेगी और उन भागीदारों द्वारा कार्य दिवस में निरीक्षण के लिए खुला होगा जिसके पास सार संग्रह या उसकी प्रतिलिपियों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. यह कि भागीदारगण अपनी पूंजी में से निकालने के हकदार है और यह कि फर्म ऐसी दरों पर प्रसुविधा में से बकाया पूंजी पर भागीदारों को ब्याज का संदाय करेगा जो प्रत्येक लेखा वर्ष के समापन के पूर्व भागीदारों द्वारा विनिश्चित किये जायेगें।
9. यह कि भागीदारों का वार्षिक लेखा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च अस्तियों एवम् दायित्वों के कथन पर लिया जायेगा। तैयार किये गये व्यापार लेखा, लाभ एवम् हानि लेखा पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर किया जायेगा और उसकी लेखा परीक्षा की जायेगी।
10. यह कि भागीदार कतिपय अनुसूचित बैंक या बैंकों के बैंक खाता या बैंक खाते खोल सकेगें और उसे उन्हें ही संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जायेगा या उसे / उन्हें जिसे / जिन्हें भागीदारों द्वारा पारस्परिक तौर पर विनिश्चित किया गया है। प्रत्याहरण पक्षकारों में से दो हस्ताक्षरों के द्वारा किया जा सकता है या उसे / उन्हें जिसे / जिन्हें जिसका / जिनका सभी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक तौर पर करार किया जा सकेगा।
11. यह कि भागीदारी के लिए अपेक्षित कोई भी ऋण उनके संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन सहमति एवम् संयुक्त सहमति से पक्षकारों द्वारा उठाया जायेगा। उसके उल्लंघन में जो उठाया गया कोई भी ऋण जो कुछ भी ऊपर कहा गया है भागीदारी पर आबद्धकारी नहीं होगा और ऋण उठाने वाला व्यक्ति-व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा।
12. यह कि कोई भी भागीदार लिखित अन्य भागीदारों की सहमति के बिना भागीदारी कारबार में अपने हिस्सों या हित को स्थानान्तरित नहीं करेगा, बन्धक नहीं करेगा या समनुदेशित नहीं करेगा और उसमें उसके साथ भागीदार के रूप में किसी अन्य को अन्तःस्थापित नहीं करेगा।
13. यह कि भागीदारी / भागीदारों की 'इच्छा पर' है और दूसरे भागीदार को बाहर जाने वाले भागीदार द्वारा लिखित एक कलेण्डर महीने की नोटिस देकर पर्यवसेय होगी।
14. यह कि दोनों भागीदार वे कार्यरत भागीदार होंगे जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(9) के निबन्धनों में फर्म की ‘प्रसुविधा बही' में से अनुज्ञेय संपूर्ण पारिश्रमिक में से एक समान पारश्रमिक एवम कमीशन का हकदार होंगे हानि के मामले में संदेय सफल पारिश्रमिक 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
15. यह कि भागीदारी की एक कार्यवृत्त बहीं होगी जिसमें ऊपर प्रति खण्ड 14 के अनुसार कार्यरत भागीदारों को संदेय पारश्रमिक एवम् कमीशन की मात्रा पर लेखा की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक वर्ष जिस निष्कर्ष पर पहुंचा गया और उसी दर पर भी जिस पर ऊपर खण्ड 8 के अनुसार ब्याज प्रविष्ट और अभिलेख के प्रयोजनार्थ प्रतिधारित किया जायेगा।
16. यह कि भागीदारों ने फर्म के कारबार में भाग लिया। कोई भी व्यक्ति भागीदारी की निरंतरता के दौरान वह कार्य नहीं करेगा या करवायेगा जो भागीदारी कारबार के हित में निरर्थक एवम् हानिप्रद हो।
17. यह कि भागीदारी विलेख के पक्षकारों के दायित्व के लिए नहीं होगी।
18. यह कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के उपबंध इस विलेख के साथ विशिष्ट तौर पर न संव्यवहार किये गये मुद्दों की बाबत लागू होंगे।
19. यह कि भागीदारी-विलेख के पक्षकारों के बीच विवाद होने के मामले में, कोई भी पक्षकार एक कानून की न्यायालय जाने का हकदार नहीं होगा। मामला भारतीय माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अधीन माध्यस्थम को सौंप दिया जायेगा।
20. यह कि उपर्युक्त निबन्धनों, शर्तों एवम् अनुबन्धों में से किसी को भी लिखित सभी भागीदारों की पारस्परिक सहमति लेकर उसको पहले से परिवर्तित किया जा सकेगा, उसमें फेरफार किया जा सकेगा या उसमें वृद्धि की जा सकेगी।

**जिसके साक्ष्य में उसके पक्षकार इसमें इसके ऊपर वर्णित दिन महीने एवम् वर्ष को इस विलेख को इसमें उपवर्णित किया है उस पर अपना हस्ताक्षर किया है।**

साक्षी

1. प्रथम पक्ष
2. द्वितीय पक्ष